

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-160/2026

/स्वा०,

पटना, दिनांक-

डा० कुमारी मधु, सीनियर रेजिडेंट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.04.2026 से 08.07.2026 तक कुल-99 (निन्यानवे) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-160/2026-

2354124

पटना, दिनांक 25/9 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/ डा० कुमारी मधु, सीनियर रेजिडेंट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

VRamank 25/9/26

सरकार के उप सचिव।

R